रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 1987/कार्तिक 13, 1909
No. 555] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 1987/KARTIKA 13, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1987

अधिसूचना

धनकर

का. आ. 972 (अ)—केन्द्रीय सरकार, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (16ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस खंड के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित डिबेंचरों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

(1) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए "10 वर्षीय 9 प्रतिशत (करमुक्त) प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय बंधपत्र (बी सिरीज)" ;

(2) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए "7 वर्षीय 13 प्रतिशत प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय बंधपत्र (बी सिरीज)

परन्तु यह कि ऐसे बंधपत्रों के पृष्ठांकन या परिदान द्वारा अन्तरण की दशा में उक्त खंड के अधीन फायदे केवल तभी अनुज्ञेय होंगे जब अन्तरिती ऐसे अन्तरण के साठ दिन की अवधि के भीतर संबंधित कंपनी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचित करता है ।

[फा. सं. 328/101/87–डब्ल्यू. टी.]

एन. के. सांगवान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th November, 1987

NOTIFICATION

WEALTH-TAX

S.O. 972(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xvi e) of sub-section (1) of section 5 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby specifies the following debentures for the purpose of that clause, namely :—

(i) "10-year—9 per cent (Tax Free) Secured Redeemable Non-Convertible Bonds (B-series)" issued by the National Hydroelectric Power Corporation Ltd;

(ii) "7-year—13 per cent Secured Redeemable Non-Convertible Bonds (B-series)" issued by the National Hydroelectric Power Corporation Ltd.;

Provided that the benefit under the said clause shall be admissible in the case of transfer of such bonds, by endorsement or delivery, only if the transferee informs the company concerned by registered post within a period of sixty days of such transfer.

[F. No. 328/101/87-WT.]

N. K. SANGWAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987